(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड– I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं० 35/2015–20

नई दिल्ली, दिनांक: 4 सितम्बर, 2018

विषय:– सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को तरजीही कोटा चीनी के निर्यात की मात्रा का आबंटन।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा 01.10.2018 से 30.09.2019 की अवधि के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) को सीएक्सएल रियायतों के तहत 10,000 टन (दस हजार टन) खांड और/या सफेद चीनी की मात्रा आबंटित करते हैं।

2. दिनांक 20.04.2015 की अधिसूचना सं. 3/2015–20 के अनुसार सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात तथा टीआरक्यू के तहत यूएसए को चीनी का निर्यात उपर्युक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों का स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन 'मुक्त' है

3. दिनांक 25.09.2009 के यूरोपीय संघ विनियमन (ईसी) संख्या 891/2009 के अनुच्छेद–10 के अनुसार ''आदेश सं. 09.4321 के तहत सीएक्सएल रियायती चीनी कोटे हेतु मुक्त वितरण के लिए यह रिलीज विनियमन (ईईसी) संख्या 2454/93 के अनुच्छेद–55 से 65 के अनुसार संबंधित तीसरे देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्गम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगी''। तदनुसार, निर्यात प्राधिकार दस्तावेज ईयूआर और जीएसपी में निम्नानुसार प्रविष्टियां की जानी हैं –

(i) सीएक्सएल रियायती चीनी

''[अनुसूची सीएक्सएल (यूरोपीय समुदाय) के तहत विनियमन (ईसी) सं. 891/2009 का अनुप्रयोग। सीएक्सएल रियायती चीनी क्रम सं. 09.4321]''

4. उपरोक्त पैरा 3 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार उद्गम का प्रमाण–पत्र अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा और ईयूआर प्रपत्र को सीमाशुल्क विभाग के द्वारा पोतलदान के पत्तन पर पृष्ठांकित किया जाएगा।

5. दिनांक 20.04.2015 की अधिसूचना सं. 3/2015–20 के द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग शर्त का पालन किया जाना जारी रहेगा।

6. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:**

दिनांक 01.10.2018 से 30.09.2019 तक सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली चीनी (खांड और/या सफेद चीनी) की मात्रा अधिसूचित की गई है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई मेल : dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/180/879/एएम–08/निर्यात प्रकोष्ठ (खंड–VIII) से जारी)